



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228719
CG-DL-E-04082021-228719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2883]
No. 2883]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SRAVANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

का.आ. 3109(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 15(अ) दिनांक 01.01.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709AD के कि.मी. 19.8 से कि.मी. 53.63 (पानीपत से शामली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08-01-2021" को "दैनिक जागरण" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709AD के कि.मी. 19.8 से कि.मी. 53.63 (पानीपत से शामली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: शामली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कैराना				
	गांव का नाम: कैराना देहात				
1	655	निजी	एग्रीकल्चर	0.0451	अहतराम सिद्दीकी / अनवारूल हक / निवासी मौहल्ला आलकला कैराना मौ0 शकेव / अनवारूल हक / निवासी मौहल्ला आलकला कैराना मौ0 नवेद / अनवारूल हक / निवासी मौहल्ला आलकला कैराना मौ0 अनस सिद्दीकी / अनवारूल हक / निवासी मौहल्ला आलकला कैराना श्रीमति समर जहां / अनवारूल हक / निवासी मौहल्ला आलकला कैराना ()
	गांव का नाम: कन्डेला				
2	976	निजी	एग्रीकल्चर	0.044	अरविन्द्र कुमार / मदनलाल / नि. ग्राम पौरुष जैन / राकेश कुमार / नि. ग्राम निखिल जैन / राकेश कुमार / नि. ग्राम श्रीमति साधना जैन / राकेश कुमार / नि. ग्राम पारस जैन / विनय जैन / निवासी शामली श्रीमति नीलम जैन / विनय जैन / निवासी शामली इलमचन्द / कृपाराम / नि. ग्राम पवन कुमार / कृपाराम / नि.

					ग्राम प्रवीण कुमार / बाबूराम / निवासी कस्बा शामली राज कुमार / जुगल किशोर / निवासी ग्राम अशोक कुमार गोयल / श्रीपाल / नि. ग्राम सुशील कुमार गोयल / श्रीपाल / नि. ग्राम अरूण कुमार गोयल / श्रीपाल / नि. ग्राम प्रकाशवती / श्रीपाल / नि. ग्राम राहित जैन / राजेन्द्र कुमार / नि. ग्राम राहुल जैन / राजेन्द्र कुमार / नि. ग्राम श्रीमति शैलबाला / राजेन्द्र कुमार / नि. ग्राम कमल कान्त गोयल / अनन्त कुमार / नि. ग्राम श्रीमति प्रेमलता / अनन्त कुमार / नि. ग्राम ()
3	979	निजी	एग्रीकल्चर	0.2203	अश्वनी कुमार / कवरसैन / निवासी शामली अवनीश कुमार / कवरसैन / निवासी शामली अनोज कुमार / कवरसैन / निवासी शामली प्रवीण कुमार / बाबूराम / निवासी कस्बा शामली राशिद व साजिद पुत्रगण मौ० नसीम व श्रीमति नाजमा बेगम पत्नी मौ० नसीम निवासीगण निकट जामा मस्जिद काजीवाडा शामली ()
तालुक का नाम: शामली					
गांव का नाम: लिलौन					
1	1322	निजी	एग्रीकल्चर	0.4134	रामपाल सिंह / किसन / नि. ग्राम जसबीर सिंह / किसन / नि. ग्राम ओमपाल सिंह / किसन / नि. ग्राम नरेन्द्र कुमार / किसन / नि. ग्राम रामबीर सिंह / किसन / नि. ग्राम ()
2	1567	निजी	एग्रीकल्चर	0.0094	इन्द्रपाल / बलबीरसिंह / गढी पुख्ता ()
			कुल	0.7322	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2021

S.O. 3109(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 15(E) Date 01.01.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH709AD on the stretch of land from Km 19.8 to Km 53.63 (Panipat to Shamli) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Hindustan Times” both dated 08-01-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH709AD in the stretch of land from NH709AD (Panipat to Shamli) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: SHAMLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kairana				
	Village: Kairanaa Rural				
1	655	Private	Agriculture	0.0451	Ahtram Siddiqi / Anwarul Haq / resident of Mohalla Alka Karaana Maula Shabek / Anwarul Haq / Resident Maula Alka Karaana Maw Naved / Anwarul Haq / Resident Mullah Maula Anas Siddiqi / Anwarul Haq / Resident Maula Alka Karaana Mrs. Samar Jahan / Anwarul Haq / Resident Maula Alka Karaana
	Village: Kandela				
2	976	Private	Agriculture	0.044	Arvinder Kumar / Madanlal / R.S. gram Pourush Jain / Rakesh Kumar / R.S. gram Nikhil Jain / Rakesh Kumar / R.S. gram Smt. Sadhana Jain / Rakesh Kumar / R.S. gram Paras Jain / Vinay Jain / Resident Shamli Mrs. Neelam Jain / Vinay Jain / Resident Shamli Ilamchand / Kriparam / R.S. gram Pawan Kumar / Kriparam / R.S. gram

					Praveen Kumar / Baburam / Resident Town Shamli Raj Kumar / Jugal Kishore / Resident Village Ashok Kumar Goyal / Shripal / R.S. gram Sushil Kumar Goyal / Shripal / R.S. gram Arun Kumar Goyal / Shripal / R.S. gram Prakashvati / Shripal / R.S. gram Rahit Jain / Rajendra Kumar / R.S. gram Rahul Jain / Rajendra Kumar / R.S. gram Mrs. Shailbala / Rajendra Kumar / S.N. gram Kamal Kant Goyal / Ananth Kumar / R.S. gram Mrs. Premlata / Ananth Kumar / R.S. gram
3	979	Private	Agriculture	0.2203	Ashwani Kumar / Coversman / Resident Shamli Avnish Kumar / Coversman / Resident Shamli Anoj Kumar / Coversman / Resident Shamli Praveen Kumar / Baburam / Resident Town Shamli Rashid and Sajid sons Mau Nasim and Mrs Nazma Begum wife Mau Nasim residents near Jama Masjid Kaziwada Shamli
	Taluk: Shamli				
	Village: Lilaun				
1	1322	Private	Agriculture	0.4134	Rampal Singh / Kisan / Ni. Gram Jasbir Singh / Kisan / Ni. Gram Ompal Singh / Kisan / Ni. Gram Narendra Kumar / Kisan / Ni. Gram Rambir Singh / Kisan / Ni. Gram
2	1567	Private	Agriculture	0.0094	Indrapal / Balbir Singh / Gadi Pakhta
			TOTAL	0.7322	

[F. No. NHAI/PIU-BPT/LA.NOTIF/1011/709AD/3a/3D2]

RAJESH GUPTA, Director